

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 14/152

1. मोती लाल आयु 39 वर्ष आत्मज श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी जहाजपुरिया ।
2. रामकिशन आयु 37 वर्ष आत्मज श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी जहाजपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

—रेस्पोडन्ट

- उपस्थित :- 1. श्री कैलाश नामधाराणी, अपीलान्त की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडन्ट की ओर से ।



निर्णय

दिनांक: 01.11.2017

1. अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, हिण्डोली जिला - बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्त को ग्राम धेगन्या की आराजी खसरा नं. 518/467 रकबा 10 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 02 माह (60 दिवस) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 12.08.2013 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत

की । प्रथम अपीलेंट न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2014 के द्वारा अपील अपीलांत खारिज करने का आदेश पारित किया ।

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्त ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।
4. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेंट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्त का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है और यदि कब्जा माना जावे तो उसके द्वारा कब्जा छोड़ दिया गया है कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में अपीलान्त ने अंडरटेकिंग दी है और तावान की राशि जमा करवा दी गई है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।
6. रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी जिरह में कथन किया कि अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्त को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।
7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्त द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि उसका उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । उसके द्वारा कब्जा छोड़ दिया गया है कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में अपीलान्त ने अंडरटेकिंग दी है और तावान की राशि जमा करवा दी गई है ।



8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्त को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है । इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार, हिण्डोली को भी प्रस्तुत करेगा । शपथ पत्र में यह भी अंकित किया जावे कि अपीलान्त भविष्य में कभी इस आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार, हिण्डोली को भेजी जावे । यदि अपीलान्त उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी । पक्षकारान दिनांक 04.12.2017 को न्यायालय तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी में उपस्थित हों ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा